



2026:AHC:54393

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 646 वर्ष 2026

विपिन

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अजय कुमार वशिष्ठ

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री नीरज कुमार शर्मा, राज्य-विपक्षी के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 414 वर्ष 2025 में धारा 105 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन सहवर, जिला कासगंज के तहत सुनवाई के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह घटना कथित तौर पर 18.07.2025 को हुई थी। घायलों की जांच डॉ. सर्वेश नाम के व्यक्ति ने 19.07.2025 को की थी। सूचनाकर्ता के पति की मृत्यु 20.07.2025 को हो गई। पंचनामा और पोस्टमॉर्टम 21.07.2025 को किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट 23.07.2025 को दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को बाईं ओर के माथे, बाईं ओर के चेहरे, बाएं कंधे, बाएं कोहनी के जोड़ और दोनों घुटने के जोड़ों पर चोटें आई हैं। डॉक्टर की राय में, मृत्यु का कारण पूर्व मॉर्टम चोट के परिणामस्वरूप सेप्टीसीमिया के कारण सेप्टीसेमिक शॉक है। अन्य जांच गवाहों के अलावा, मृतक का भाई भी जांच के गवाहों में से एक था। जांच के गवाहों की राय के अनुसार, मौत का कारण अनिश्चित है। आगे यह तर्क दिया गया है कि कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सूचनाकर्ता के बयान के अनुसार, 18.07.2025 को आवेदक और तीन अज्ञात व्यक्तियों ने मृतक के साथ मारपीट की थी। प्रमोद और रघुराज नाम के स्वतंत्र गवाहों के बयान के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मृतक शराब के नशे में था और आवेदक को गालियां दे रहा था। ऐसी परिस्थितियों में, कथित हमला, यदि कोई हो, अचानक उकसावे का परिणाम था और हत्या करने के किसी पूर्व नियोजित इरादे से नहीं था। इसके अलावा, इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे के पैराग्राफ- 33 और पूरक हलफनामे के पैराग्राफ 2 से 4 में समझाया गया है। आवेदक 10.11.2025 से जेल में है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन रिकॉर्ड से उपरोक्त प्रस्तुतियों पर संतोषजनक ढंग से विवाद नहीं कर सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देर से दर्ज की गई है। कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। प्रमोद और रघुराज नाम के स्वतंत्र गवाहों के बयान के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मृतक शराब के नशे में था और आवेदक को गालियां दे रहा था। ऐसी परिस्थितियों में, कथित हमला, यदि कोई हो, अचानक उकसावे का परिणाम था और हत्या करने के किसी पूर्व नियोजित इरादे से नहीं था। इसके अलावा, इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं है। इसके अलावा, आवेदक चार महीने से अधिक समय तक कैद में है और आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद मुकदमे के शीघ्र समापन की कोई उम्मीद नहीं है, और राज्य द्वारा कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो या तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या मुकदमे में देरी करेगा या गवाह को डराएगा, इसलिए, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा करने का हकदार है।

6. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- विपिन को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो कि शर्तों के अधीन है:

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीख को पेश होगा;
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; तथा,
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मार्च 17, 2026

एसकेटी

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”